

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

अंतरसिंह पिता जामसिंह जाति मेडा

निवासी- ग्राम छोटा कालिया तहसील व जिला झाबुआ (म.प्र.)

----- प्रार्थी

विरुद्ध PBR | निगरानी | झाबुआ | भू-राज | 2017 | 4702

मनसुखलाल पिता लालजी लुहार मृतक तर्फ वारिसान

- 1- विनोद पिता कन्हैयालाल पांचाल
- 2- राजेश पिता स्व. कन्हैयालाल पांचाल
- 3- मुकेश पिता कन्हैयालाल पांचाल
- 4- शंकर पिता देवचंद पांचाल

निवासी- ग्राम पिटोल तहसील व जिला झाबुआ (म.प्र.)।

-----प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959




श्रीमान् कलेक्टर महोदय झाबुआ के द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अपील /03-04 में दिनांक 05/04/2006 को पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-

प्रकरण के तथ्य :-

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि :-

1. प्रार्थी अंतरसिंह पिता जामसिंह जाति मेडा के द्वारा गैर आदिवासी से भूमि का कब्जा दिलाने बाबद प्रार्थना प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम छोटा कालिया तहसील व जिला झाबुआ में सर्वे क्र. 13 रकबा 1.995 हे. तथा सर्वे क्र. 15/1 रकबा 1.934 हे. भूमि कुल रकबा 3.929 हे० भूमि पर गैर आदिवासी मनसुखलाल पिता लालजी लुहार के द्वारा कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि पूर्व में वर्ष 1929-30 से वर्ष 1943-44 के पूर्व से सुरा पिता खिमजी आदिवासी के नाम पर चली आ रही थी, जिसका कोई आधार पर राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है, सुरा पिता खिमजी के देहांत के पश्चात उक्त भूमि पर सकरिया पिता सुरा का नाम अंकित रहा होकर उसका ही आधिपत्य रहा है। यह स्थिति वर्ष 1959-60 के पूर्व से चली आ रही है। वर्ष 1959-60 में मनसुखलाल के द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत व गलत बयानी कर उक्त भूमि पर अपना नाम अवैध तरीके से अंकित कराया गया। किंतु उक्त वर्ष के खसरा के कालम न. 12 में सकरिया के चार टापरे बने होने बाबद उल्लेख भी अंकित है। उक्त भूमि के पौन भाग पर आज भी प्रार्थी का आधिपत्य होकर मकान भी निर्मित है।

2. जिसके आधार पर धारा 170 ख- म.प्र.भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ के द्वारा प्रकरण क्र. 11/अपील /03-04 में दिनांक 05/04/2006 को पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-



श्री 2/2/2017
निगरानी
22-11-17
22-11-17
22-11-17

22-11-17

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भूरा/17/4702

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री पी0जी0पाठक उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>अध्यक्ष</p>